डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2001—आश्विन 25, शक 1923

खेल एवं युवक कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक 1991/खेल/2001 रायपुर, दिनांक 17-10-2001

"गुण्डाधूर पुरस्कार"

राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नलिखित पुरस्कारों की घोषणा करते हुए नियम बनाता है :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं उद्देश्य :—** ये नियम "गुण्डाधूर पुरस्कार" नियम कहलाएंगे और राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील माने जायेंगे. उक्त पुरस्कार राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाएगा.

2. **परिभाषाएं :—**

2.1 शासन से तात्पर्य-छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मंत्रालय से है.

2.2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से तात्पर्य-ओलम्पिक, एशियाड, विश्व चैम्पियनशिप, विश्वकप, एशियन चैम्पियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच एवं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें भारतीय दल के भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गयी हो से है.

2.3 राज्य खेल संघों से तात्पर्य-भारत सरकार एवं भारती ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त/संलग्नता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ की संलग्नता प्राप्त राज्य इकाई से है.

2.4 राष्ट्रीय खेल संघ से तात्पर्य-भारत सरकार एवं भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता/संलग्नता प्राप्त राष्ट्रीय इकाई से है.

2.5 विभाग से तात्पर्य-खेल एवं युवक कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ से है.

3. **पुरस्कार** :—पुरस्कार की राशि रुपये दो लाख नगद एवं प्रशस्ति-पत्र, पात्र खिलाड़ी को दिया जाएगा.

4. **विचार क्षेत्र** :— गुण्डाधूर पुरस्कार ऐसे पात्र खिलाड़ियों को दिये जाएंगे जो निम्नलिखित खेल विधाओं में से सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे.

4.1 विभिन्न ओलंपिक खेल विधाएं.

4.2 ऐसी गैर ओलंपिक खेल विधाएं जो भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है.

4.3 राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित खेल विधाएं.

5. **पात्रता** :—खिलाड़ी/खिलाड़ियों द्वारा विगत वर्ष सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए प्रथम/विजेता स्थान प्राप्त किया हो या छत्तीसगढ़ की ओर से भाग लेते हुए सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय दल का सदस्य चुना जाकर उस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो.

6. **विचार क्षेत्र** :—

6.1 पुरस्कार हेतु वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी.

6.2 वर्ष में केवल एक पुरस्कार दिया जाएगा जो कि व्यक्तिगत खेल विधा के मामले में व्यक्तिगत खिलाड़ी को तथा दलीय खेल के मामले में एक से अधिक खिलाड़ियों को दिया जा सकेगा. दलीय खेल के मामले में यदि पुरस्कार का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन के आधार पर किया जा रहा हो तो वे सभी खिलाड़ी जिन्होंने समान रूप से एक ही समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो सम्मिलित रूप से पुरस्कार प्राप्त करेंगे.

यदि पुरस्कार का निर्णय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उपलब्धि के आधार किया जा रहा हो तो दल के सभी खिलाड़ी दलीय प्रतियोगिताओं के लिए यथापरिकल्पित पुरस्कार प्राप्त करेंगे.

इस स्थिति में पुरस्कार की राशि खिलाड़ियों में समान रूप से इस प्रकार वितरित की जाएगी कि उसका सम्मिलित मूल्य रुपये दो लाख से अधिक ना हो. सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा.

6.3 यदि चयन समिति की राय में किसी विशेष वर्ष में इस पुरस्कार को पाने योग्य प्रदर्शन नहीं होता है तो उस वर्ष पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है.

6.4 यह पुरस्कार विभाग के अन्य किसी पुरस्कार या दूसरे पुरस्कारों के अलावा होगा जो कि खिलाड़ी को उसी उपलब्धियों के लिए दिया गया है.

6.5 यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को एक खेल के लिए उसके जीवन काल में केवल एक बार ही दिया जाएगा.

6.6 पुरस्कार हेतु उपलब्धि वर्ष या पुरस्कार वर्ष में अगर कोई खिलाड़ी या दल मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा स्वीकृत चैम्पियनशिप से निष्कासित किया गया हो तो उसे संबंधित वर्ष के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.

7. **पुरस्कार का समय एवं स्थान :—** गुण्डाधूर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शासन द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर आयोजित विशेष समारोह में पुरस्कार ग्राहियों को दिये जाएंगे.

8. **आवेदन की प्रक्रिया :—**

8.1 संचालनालय खेल एवं युवक कल्याण द्वारा 30 सितम्बर तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे.

8.2 आवेदन हेतु समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी तथा संचालनालय में पंजीकृत राज्य खेल संघों को ज्ञापन द्वारा सूचित किया जाएगा.

8.3 विभाग को खिलाड़ियों से सीधे आवेदन प्राप्त करने का अधिकार होगा.

8.4 संबंधित खेल संघ खिलाड़ियों के नामों की अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र में खिलाड़ियों के आवेदन के साथ अग्रेषित कर सकेंगे.

खेल संघ एक खिलाड़ी या दल का नाम ही अग्रेषित करेंगे.

8.5 निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 30 सितम्बर तक संचालनालय खेल एवं युवक कल्याण को प्राप्त हो जाना चाहिए.

8.6 यदि कोई आवेदन-पत्र 30 सितम्बर के बाद प्राप्त होता है तो उस पर उस वर्ष में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा और न ही अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाएगा. इसी प्रकार आवेदन-पत्र अपूर्ण या निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं होने पर भी उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

9. **आवेदन पत्रों पर विचार की प्रक्रिया :—**

9.1 निर्धारित प्रपत्र में सब प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवेदन-पत्र को राज्य/राष्ट्रीय खेल संघ से प्रमाणीकरण कराया जाएगा.

9.2 उपयुक्त होते हुए भी विभाग संबंधित खिलाड़ी की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए उस खिलाड़ी की खेल उपलब्धियों की आगे जांच पड़ताल और खोजबीन करने का अधिकार अपने पास रखता है. इसी प्रकार यदि राज्य/राष्ट्रीय खेल संघ खिलाड़ी की उपलब्धियों का प्रमाणीकरण निर्धारित समय तक नहीं करते हैं तो विभाग स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होगा.

9.3 विभाग पुरस्कार के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने हेतु समिति का गठन करेगा जो पुरस्कार देने के लिए अंतिम निर्णय लेगी.

9.4 समिति विभिन्न आवेदनों पर विचार करने के पूर्व एक दिशा निर्देशों तैयार करेगी जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का चयन किया जाएगा. इस समिति का निर्णय अन्तिम और सभी पर बाध्यकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.

10. **पुरस्कार का वि. ोपन और रद्द करना :—**

10.1 यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है, जिसमें यह पाया जाए कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है अथवा इसको विलोपित करने या वापिस लेने के लिए पर्याप्त वैध कारण मौजूद है यह कि पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता ने पुरस्कार प्रदान करने तिथि के पश्चात् सही आचरण नहीं किया है. यह निर्णय उपर्युक्त कण्डिका 9.3 में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा.

10.2 पुरस्कार का विलोपन करने/रद्द करने वापिस लेने की स्थति में एक साधारण अधिसूचना विभाग द्वारा उचित रूप से निकाली जाएगी और यह पर्याप्त होगी. परंतु पुरस्कार के एक भाग के रूप में दिया गया नकद पुरस्कार प्राप्तकर्ता या उसके उत्तराधिकारी से न तो वापिस मांगा जाएगा और न ही वापिस करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाएगा.

10.3 यह विलोपन/रद्द वापिसी को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है. शासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

11. **सामान्य नियम :—**

11.1 पुरस्कार हेतु प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव लाया जाना प्रविष्टि के लिए अनर्हता मानी जाएगी.

11.2 ऐसा माना जाएगा कि जिस खिलाड़ी का आवेदन उसके स्वयं के द्वारा या अन्य किसी स्रोत से पुरस्कार हेतु प्राप्त हुआ है उस खिलाड़ी ने इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.

12. **संशोधन** :—शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

''गुण्डाधूर पुरस्कार'' हेतु प्रपत्र

अंतिम तिथि 30 सितम्बर
(अपूर्ण आवेदन-पत्र में विचार नहीं किया जाएगा)

प्रति

संचालक,
खेल एवं युवक कल्याण,
छत्तीसगढ़, रायपुर.

विषय :— ''गुण्डाधूर पुरस्कार'' वर्ष ....हेतु.

1. खेल का नाम ....

2. खिलाड़ी/खिलाड़ियों का विवरण

क्रमांक (1)	खिलाड़ी का नाम एवं पिता/पति का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष क्रमांक (4)
1.			
2.			
3.			
दल की संख्यानुसार			

नोट :—राज्य खेल संघों के लिए

(अ) व्यक्तिगत खेल के लिए केवल एक खिलाड़ी के नाम का लेख करें.

(ब) दलीय खेलों के लिए यदि राष्ट्रीय विजेता का नाम अग्रेषित किया जा रहा हो तो विजेता दल के सभी खिलाड़ियों (प्रशिक्षक एवं मैनेजर को छोड़कर) के नाम अग्रेषित करें.

(स) दलीय खेलों के लिए यदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के आधार पर नाम अग्रेषित किया जा रहा हो तो उन सभी खिलाड़ियों के नाम अग्रेपित करें जिन्होंने एक साथ उस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है.

(द) खेल संघ केवल एक आवेदन-पत्र ही अग्रेषित करें.

3. सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का विवरण जिसमें खिलाड़ी/खिलाड़ियों को प्रथम/विजेता स्थान मिला है. (प्रमाण-पत्र संलग्न).

वर्ष	सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का पूरा नाम जिसमें विजेता स्थान मिला है.	आयोजन स्थल का नाम एवं पूर्ण पता (स्टेडियम, शहर, राज्य)	आयोजन तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)

4. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विवरण जिसमें खिलाड़ी ने भाग लिया है. (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

वर्ष	सीनियर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	आयोजन स्थल का पूर्ण पता (स्टेडियम, शहर, राष्ट्र)	आयोजन तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)

5. खिलाड़ी/खिलाड़ियों की अन्य खेल उपलब्धियों की जानकारी सादे कागज में लेख कर पृथक् से प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के साथ संलग्न किया जाए.

घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हूं/हैं कि—
(जो लागू न हो उसे काट देवें)

(अ) प्रपत्र में उल्लेखित खिलाड़ी/खिलाड़ियों को विगत वर्ष या इस वर्ष आज दिनांक तक संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निष्काषित नहीं किया गया है.

(ब) प्रपत्र में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतीय दल को भारत सरकार द्वारा अनुमति एवं वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
(कण्डिका लागू होने की स्थिति में घोषणा की जावे अन्यथा काट दिया जाए.)

(स) प्रपत्र में उल्लेखित खिलाड़ी/खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार हेतु निर्धारित नियमों को पढ़ लिया है एवं इन सब नियमों को स्वीकार कर लिया है.

(द) उपरोक्त विवरण पूर्णत: सत्य एवं प्रमाणित है. उपरोक्त जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में यह आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा असत्य जानकारी देने के लिए मैं/हम विधि के अनुसार उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी/रहेंगे.

खिलाड़ी/खिलाड़ियों के हस्ताक्षर:

क्र. (1)	नाम (2)	डाक टिकट साईज फोटो (3)	हस्ताक्षर (4)
1.			
2.			
3.			
दल की संख्यानुसार			

हस्ताक्षर
पूरा नाम........................
(पदमुद्रा)
सचिव,
संबंधित राज्य खेल संघ
छत्तीसगढ़.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.